

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची, दिनांक /

संख्या-01/नि03-01/2025/730 श्री जयंत कुमार मिश्र, (झा0शि0से0 वर्ग-02) (गृह जिला-पटना, बिहार) सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची को स्थानान्तरित करते हुए उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, राँची अतिरिक्त प्रभार सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-01/नि03-01/2025/731 विभागीय अधिसूचना सं0-2294 दिनांक-27.11.2025 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (मूल कोटि) में नियुक्त सुश्री स्वीटी सुमन (गृह जिला-धनबाद) को अगले आदेश तक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के पद पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-01/नि03-01/2025/732 विभागीय अधिसूचना सं0-2295 दिनांक-27.11.2025 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (मूल कोटि) में नियुक्त श्री सौरभ कुमार (गृह जिला-रामगढ़) को अगले आदेश तक अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, देवघर अतिरिक्त प्रभार क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-01/नि03-01/2025/733 विभागीय अधिसूचना सं0-2296 दिनांक-27.11.2025 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (मूल कोटि) में नियुक्त श्री राकेश कुमार राम (गृह जिला-कोडरमा) को अगले आदेश तक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, माण्डर, राँची के पद पर पदस्थापित करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या-01/नि03-01/2025/734 विभागीय अधिसूचना सं0-2312 दिनांक-02.12.2025 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (मूल कोटि) में नियुक्त श्री गुरुआंशु श्रीवास्तव (गृह जिला-जौनपुर, उ0प्र0) को अगले आदेश तक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापित करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या-01/नि03-01/2025/735 विभागीय अधिसूचना सं0-2297 दिनांक-27.11.2025 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (मूल कोटि) में नियुक्त श्री साकेत कुमार तिवारी (गृह जिला-गढ़वा) को अगले आदेश तक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, डालटेनगंज, पलामू के पद पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-01/नि03-01/2025/736 विभागीय अधिसूचना सं0-2298 दिनांक-27.11.2025 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (मूल कोटि) में नियुक्त सुश्री कुमारी स्वाती (गृह जिला-बोकारो) को अगले आदेश तक अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद अतिरिक्त प्रभार क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पद पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-01/नि03-01/2025/737 विभागीय अधिसूचना सं0-2299 दिनांक-27.11.2025 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (मूल कोटि) में नियुक्त श्री प्रेमचन्द कुमार (गृह जिला-हजारीबाग) को अगले आदेश तक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, पांकी, पलामू के पद पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-01/नि03-01/2025/738 विभागीय अधिसूचना सं0-2300 दिनांक-27.11.2025 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (मूल कोटि) में नियुक्त श्री अनुप कुमार कामती (गृह जिला-देवघर) को अगले आदेश तक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के पद पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-01/नि03-01/2025/739 विभागीय अधिसूचना सं0-2301 दिनांक-27.11.2025 के द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 (मूल कोटि) में नियुक्त सुश्री सीमा लकड़ा (गृह जिला-गुमला) को अगले आदेश तक अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा अतिरिक्त प्रभार क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पदस्थापित किया जाता है।

2. इस अधिसूचना द्वारा पदस्थापित सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अपने नियुक्ति संबंधी अधिसूचना द्वारा निर्गत आदेशों/शर्तों का अनुपालन कर ही प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. उपर्युक्त नवनियुक्त पदाधिकारी की प्रशिक्षण अवधि सहित विभाग में पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षावधि को कर्तव्य के रूप में परिणत करते हुए वेतनादि की निकासी उनके मूल पदस्थापन स्थल से की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सीता पुष्पा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-01/नि03-01/2025...../

राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय अंक में प्रकाशनार्थ/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-01/नि03-01/2025...../

राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं हक0) का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-01/नि03-01/2025.740...../

राँची, दिनांक 20.04.2026

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के संयुक्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड/ विभागीय सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची/निदेशक, झारखण्ड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/अध्यक्ष, झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण, राँची/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड/उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।